



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235500
CG-DL-E-02052022-235500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1951]

No. 1951]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2051(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री विनीत जोशी, अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को, तत्काल प्रभाव से, तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का पद धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-3/2016-यू1(ए)]

कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2022

S.O. 2051(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (3) of Section 5 read with clause (c) of Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Vineet Joshi, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education as a Member of the University Grants Commission with immediate effect for a term of three years or till he holds the Office of Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, whichever is earlier.

[F. No. 7-3/2016-U1(A)]

KAMINI CHAUHAN RATAN, Jt. Secy.